भुगतान एग्रीगेटर्स

प्रलिमि्स के लयि:

भारतीय रज़िर्व बैंक, भुगतान एवं नपिटान प्रणाली अधनियिम, 2007, पेमेंट गेटवे।

मेन्स के लयि:

भुगतान एग्रीगेटर्स।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और नपिटान प्रणाली अधनियिम, 2007 (PSS अधनियिम) के तहत 32 फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लयि सैद्धांतकि मंज़ूरी प्रदान की है।

- PSS अधनियिम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालयिों के वनियिमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है और RBI को उस उद्देश्य तथा सभी संबंधति मामलों के लयि प्राधकिरण के रूप में नामति करता है।

टप्पिणी:

- **सैद्धांतकि रूप से** अनुमोदन का अर्थ है कि **कुछ शर्तों या मान्यताओं के आधार पर अनुमोदन** प्रदान कयिा गया है, कति अंतमि अनुमोदन देने से पहले अतरिक्ति जानकारी या चरणों की आवश्यकता हो सकती है।

भुगतान एग्रीगेटर्स:

- **परचिय:**
  - ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर वे कंपनयिाँ हैं **जो ग्राहक और व्यापारी के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुवधिा प्रदान करती हैं।**
    - RBI ने **मार्च 2020 में** PA और पेमेंट गेटवे के नयिमन हेतु दशिानरि्देश जारी कयि है।
- **कार्य:**
  - वे आम तौर पर **ग्राहकों को** क्रेडटि और डेबटि कार्ड, बैंक हस्तांतरण और ई-वॉलेट सहति **कई प्रकार के भुगतान हेतु वकिल्प** प्रदान करते हैं।
  - यह **सुनश्चिति करते हुए कि लेन-देन सुरक्षति और वश्विसनीय हैं,** भुगतान एग्रीगेटर भुगतान हेतु जानकारी एकत्र और संसाधति करते हैं।
  - भुगतान एग्रीगेटर का उपयोग कर **व्यवसाय अपने स्वयं के भुगतान प्रसंस्करण सस्टिम को स्थापति करने और प्रबंधति करने की आवश्यकता से बच सकते हैं,** जो की जटलि और महंगा हो सकता है।
    - भुगतान एग्रीगेटर्स के कुछ उदाहरणों में **PayPal, स्ट्राइप, स्क्वायर और अमेज़न पे शामलि हैं।**
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
  - **बहु भुगतान वकिल्प:** भुगतान एग्रीगेटर ग्राहकों को कई प्रकार के भुगतान वकिल्प प्रदान करते हैं, जसिसे उनके लयि वस्तुओं और सेवाओं हेतु भुगतान करना आसान हो जाता है।
  - **सुरक्षति भुगतान प्रसंस्करण:** भुगतान एग्रीगेटर यह सुनश्चिति करने हेतु उन्नत सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं कि लेनदेन सुरक्षति है।
  - **धोखाधड़ी नयिंत्रण और रोकथाम:** भुगतान एग्रीगेटर धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने हेतु एल्गोरदिम तथा मशीन लर्नगि का उपयोग करते हैं, साथ ही चार्जबैक एवं अन्य भुगतान ववािदों के जोखमि को कम करते हैं।

- **भुगतान ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग:** भुगतान एग्रीगेटर भुगतान लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों हेतु अपने वित्त का प्रबंधन करना और अपने खातों का मिलान करना आसान हो जाता है।
- **अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण**: भुगतान एग्रीगेटर भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय संचालन को आसान बनाने हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर तथा वस्तुसूची/इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों जैसी अन्य प्रणालियों की एक शृंखला के साथ एकीकृत कर सकते हैं।

- **प्रकार:**
  - **बैंक भुगतान एग्रीगेटर:**
    - इसकी उच्च सेटअप लागत है साथ ही इनको **एकीकृत करना मुश्किल होता है।**
    - उनके पास विस्तृत रिपोर्टिंग सुविधाओं के साथ कई लोकप्रिय भुगतान विकल्पों का अभाव है। **उच्च लागत के कारण बैंक भुगतान एग्रीगेटर छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स हेतु उपयुक्त नहीं हैं।**
    - **उदाहरण**; Razorpay और CCAvenue।
  - **तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर:**
    - तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर व्यवसायों हेतु **अभिनव भुगतान समाधान प्रदान करते हैं और इन दिनों अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।**
    - उनकी उपयोगकर्त्ता-अनुकूल सुविधाओं में एक **विस्तृत डैशबोर्ड**, आसान मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और त्वरित ग्राहक सहायता शामिल हैं।
    - उदाहरण.; पे पल, स्ट्राइप और गूगल पे।
- **भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में एक इकाई को मंज़ूरी देने के लिये आरबीआई का मानदंड:**
  - भुगतान एग्रीगेटर ढाँचे के तहत, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कंपनियाँ ही व्यापारियों को भुगतान सेवाओं का अधिग्रहण और पेशकश कर सकती हैं।
  - एग्रीगेटर प्राधिकरण के लिये आवेदन करने वाली कंपनी के पास **आवेदन के पहले वर्ष में न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष तक कम से कम 25 करोड़ रुपए होना चाहिये।**
  - इसे वैश्विक भुगतान सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होना आवश्यक है।

भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे में अंतर:

- भुगतान गेटवे एक **सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर अथवा व्यापारियों को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है,** जिससे व्यापारी को ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है।
  - दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर, **मध्यस्थ हैं जो कई व्यापारियों को अलग-अलग भुगतान प्रोसेसर से जोड़ने के लिये एक मंच प्रदान** करते हैं।
- भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि **भुगतान एग्रीगेटर वित्त/निधि का प्रबंधन करता है जबकि भुगतान गेटवे प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।**
- हालाँकि भुगतान एग्रीगेटर द्वारा भुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है, लेकिन भुगतान गेटवे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

फिनटेक फर्मों को विनियमित करने हेतु RBI की अन्य पहलें:

- **RBI का फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:**
  - फिनटेक उत्पादों के परीक्षण के लिये एक **नियंत्रित नियामक वातावरण बनाने के प्राथमिक उद्देश्य** के साथ वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था।
- **भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को लाइसेंस:**
  - यह पहल भारत में लगातार बढ़ते भुगतान परिदृश्य की जाँच करने के लिये लाई गई थी।
- **डिजिटल ऋण मानदंड:**
  - उधार सेवा प्रदाताओं (LSP) के पास-थ्रू के बिना सभी डिजिटल ऋणों को केवल विनियमित संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से वितरित और चुकाया जाना चाहिये।
- **RBI's भुगतान विज़न 2025:**
  - किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
  - यह **भुगतान विज़न 2019-21** की पहल पर आधारित है।
- **RBI's की आगामी श्वेत-सूची:**
  - डिजिटल ऋण देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिये RBI ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स (स्वीकृत ऋणदाताओं की सूची) की एक **"श्वेत-सूची"** तैयार की है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/payment-aggregators-1